क्रम संख्या–41 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133 / XXXVI (3) / 2023 / 77(1) / 2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 07, वर्ष– 2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916) (संशोधन) अधिनियम, 2022है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 95 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 95 में:– (क) खण्ड (ङ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "(ङ) प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के माध्यम से खातों को ऐसे प्ररूप एवं रीति से तैयार करना और अनुरक्षण करना जिस रीति से राज्य सरकार नगरपालिका के खातों की संपरीक्षा का उपबन्ध करे।" (ख) खण्ड (झ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "(झ) तुलनपत्र, आय एवं व्यय विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता जैसे वित्तीय विवरण प्रत्येक तिमाही के अन्त में तैयार करायेगी।" (ग) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ट) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– "(ट) नगरपालिका के सम्बन्ध में सभी वित्तीय मामलों और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं के विवरण वाली नगरपालिका लेखा मैनुअल का अद्यतन और अनुरक्षण।"

धारा 99 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 99 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः– "(1) प्रत्येक नगरपालिका आगामी मार्च मास के 31वें दिवस को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगी और उसके ठीक बाद आगामी अप्रैल मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो इस निमित्त नियमतः निश्चित किया जाए, होने वाली बैठक में अपने समक्ष रखवाएगी। बजट में विभिन्न प्राप्तियां एवं भुगतान शीर्षक में, प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर्गत अनुमानित आय, व्यय, आधिक्य/घाटे को स्पष्टतः प्रदर्शित किया जायेगा। प्राप्तियों एवं भुगतानों को चार व्यापक शीर्षकों यथा राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाएगा।"
नई धारा 332 क का अन्तःस्थापन	4.	मूल अधिनियम की धारा 332 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 332 क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– "332 क सूचना का लोक प्रकटीकरण–(1) नगरपालिका त्रैमासिक अन्तरालों पर नीचे उल्लिखित अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगी और प्रकाशित करेगी; (क) नगरपालिका या उसकी समितियों की कार्यवाहियाँ या कार्यवाहियों का सार; (ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका; (ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियाँ जो नगरपालिका के विभिन्न विभागों में रियायत, अनुज्ञा पत्र (परमिट), अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्रदान करते हैं, या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराते हैं; (घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का संपरीक्षित वित्तीय विवरण; (ड़) नगरपालिका द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए उपबन्धित किये गये सेवा स्तर;

(च) समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय तथा किये गये व्यय का संवितरण पर आख्या;

(छ) नगरपालिका द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर सहायिकि (Subsidy) कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण;

(ज) नगरपालिका द्वारा किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) नगरपालिका के विकास से सम्बन्धित नगर विकास योजनाओं पर विस्तृत परियोजना आख्या (रिपोर्टों) का विवरण;

(ञ) मुख्य निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मूल्य, समापन के समय का विवरण और संविदा का ब्यौरा;

(ट) नगरपालिका निधियों का विवरण;

(i) कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्व वर्ष में जनित एवं वसूल की गयी आय;

(ii) कर, शुल्क, उपकर (सेस) और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, अनुज्ञा पत्र (परमिट) और अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) तथा उपयोक्ता प्रभार;

(iii) उपर्युक्त (ii) के सापेक्ष धनराशि जो असंगृहीत हो;

(iv) विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपभोग की स्थिति;

(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(क) समाचारपत्र,

(ख) इन्टरनेट;

		(ग) नगरपालिका का सूचनापट्ट; (घ) आंचलिक कार्यालय; (ङ.) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना, (च) राजपत्र (गजट) में अधिसूचना, (छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों में एकरूपता लाये जाने हेतु एकाउण्टिंग मैनुअल प्रख्यापित किया गया है, तद्नुसार राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा अपना एकाउण्टिंग मैनुअल तैयार किया जाना है। उक्त एकाउण्टिंग मैनुअल को राज्य की नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में कतिपय धाराओं का संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल,
मंत्री